फर्द अहकाम

सुवालाल बनाम बालकिशन

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर

केस संख्या 38/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	12/3/26	पत्रावली प्रस्तुत। वा०फ० उप०। बहस सुनी गई। (वास्ते) आदेश दिनांक 23/3/26 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर
	23/3/26	पत्रावली प्रस्तुत। वा०फ० उप०। आदेश हेतु दिनांक 6/4/26 को पेश हो।
	6/4/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वा०फ० उपस्थित। प्रस्तुत तर्कों, जवाब, प्रमाणों के आधार प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, एजेन्ट या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से, वादग्रस्त कृषि भूमि ख०नं० 403/457 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 403/458 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं ख०नं० 413/459 कुल किता 0.20 हैक्टेयर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। [illegible] मौके की यथास्थिति [illegible] तक बनाए रखें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 38/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 12.06.2024

1. सुवा लाल पुत्र टोडराम जाति जाट निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. किशन लाल पुत्र टोडाराम (फौत दौराने वाद)
2/1 फूली देवी पत्नी स्व. किशन
2/2 कैलाश पुत्र स्व. किशन
2/3 महेश पुत्र स्व. किशन
समस्त जाति ग्राम सुदर्शपुरा तहसील आगेर जिला जयपुर।
3. रामनिवास पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. नारायण पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामप्रताप (दौराने वाद फौत)
1/1 बालकिशन पुत्र स्व. रामेश्वर
1/2 जयसिंह पुत्र स्व. रामेश्वर
2. सूणाराम पुत्र रामू
3. लक्ष्मण पुत्र रामू
4. नानूराम पुत्र रामू
5. जगदीश पुत्र रामू
6. दयाल पुत्र भूरा
7. प्रहलाद पुत्र मोहन
8. लक्ष्मण पुत्र हनुमान
9. प्रभात पुत्र काना (फोत दोराने वाद)
9/1 पेमाराम पुत्र स्व. प्रभात
9/2 सूजाराम पुत्र स्व. प्रभात
9/3 नन्छूराम पुत्र स्व. प्रभात
9/4 लल्लूराम पुत्र स्व. प्रभात
9/5 बाबूलाल पुत्र प्रभात
9/6 मोहन पुत्र प्रभात
10. रामू पुत्र काना (फोत दौराने वाद)
10/1 मनफुल पत्नी रामू
10/2 पोखर पुत्र रामू
10/3 बालकिशन पुत्र रामू
10/4 राजू पुत्र रामू
11. हीरा लाल पुत्र कानाराम (फौत दौराने वाद)
11/1 श्रवणी देवी पत्नी हीरा लाल
11/2 भगवान सहाय पुत्र हीरा लाल
11/3 शैतान पुत्र हीरा लाल
11/4 नानू पुत्र हीरा लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

11/5 गोपाल पुत्र हीरा लाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुर्दशनपुरा तहसील आमेर
12. प्रबंधक सेन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक लि. चांदपोल जयपुर
13. प्रबंधक नागौर आंचलिक ग्रामीण मैं. शाखा राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
14. तहसीलदार तहसील आमेर हाल तहसील जालसू जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक कार्यालय आमेर हाल जालसू जिला जयपुर

....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 06.04.2026

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री महादेव जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से
3. श्री के.आर.शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9/5, 10/4 व 11/2 की ओर से

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 403/457 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403/458 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 403 के भाग है एंव हाल खसरा नम्बर 413/459 रकबा 0.20 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 413 का भाग है। जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार बुर्जगान काबिज काश्त करते आ रहे है जो कि विवादित आराजी से सम्बोधित की गई है।

यह कि विवादित आराजीयात के गत खसरा नम्बर 198, 201, 222, संयुक्त खाते की आराजी है। जिसे श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 08–04–1983 को द्वारा खसरा परिशोधन पत्र समस्त संयुक्त खातेदारान की सहमति से विनिमय द्वारा अलग अलग खातो में मुताबिक सर्वेशीट सन् 1983 अंकन किया गया है हाल खसरा नम्बर 403 व 413 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित की गई है।

यह कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 403 व 413 को बिना आदेश सक्षम अधिकारी के अप्रार्थीगण ने भू प्रबंधक कर्मचारियो से साज कर, बिना सूचना प्रार्थीगण बट्टा नम्बर डलवा कर अपने नाम गलत ... पर करवाली, ऐसी अवस्था में दावा दुरूस्ती नक्शा व राजस्व रिकोर्ड व घोषणा अनिवार्य ... आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:13 IST
Reason: SelfAttested

यह कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खाते ... खसरा नम्बर 403 व 413 का भाग है जिस पर प्रार्थीगण बजममाना बुजुर्गान काबिज ... करते आ रहे है एवं चाही क्षेत्र है जो प्रार्थीगण के चाह नम्बर 402 से सिंचित होता है वर्तमान में प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है प्रार्थीगण की फसल खडी है अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है।

सहायक ... आमेर ...

वरवक्त खसरा परिशोधन ऑफिसर के आदेश के पश्चात् बट्टा नम्बर डालकर नक्शे में जो तरमीम की गई है वह अवैधानिक है पूर्व आदेशानुसार नक्शा खसरा नम्बर 403, 413 की दुरूस्ती करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है ऐसी अवस्था में नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज का दावा लाना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जावे कि ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर, हाल त. जालसू जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 403/457 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403/458 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि अथवा खसरा नम्बर 413/459, कुल रकबा 0.20 हैक्टयर को उसके किसी भी भाग में किसी प्रकार से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जें में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि न करे, ना ही रास्ता निकाले, ना ही कि उक्त भूमि का बैचान/विक्रय करे ना ही निर्माण करे, ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण ना तो स्वंय करे ना ही अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि से करावे तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1, 2/2, 3/3, 9/1 लगायत 9/5, 10/3, 11/2, 11/4, 12, 13 बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 27.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 ने भी जवाब पेश नहीं होने के कारण दिनांक 27.10.2025 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10/4, 11/2 एवं 9/5 ने कई अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया अतः दिनांक 5.02.2026 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु न्यायालय को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर विचार करना होता है: (1) प्रथम दृष्ट्या मामला (Prima Facie Case), (2) सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience), और (3) अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)।

1. प्रथम दृष्ट्या मामला: पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी (संवत 2076–2079), के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 403/457, रकबा 0.1500 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण (1. जयसिंह पुत्र रामेश्वर, 2. बालकिशन पुत्र रामेश्वर 3. ममता देवी पुत्री रामेश्वर 4. रामू पुत्र धन्ना) का नाम बतौर 'खातेदार' दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को सही मानने की उपधारणा (Presumption of Truth) है, जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा गलत साबित न कर दिया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:13 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम है, परन्तु अभिवचन किया है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 403/457 खसरा नम्बर 403/458, खसरा नम्बर 403 के भाग नहीं है, ना ही खसरा नम्बर 403 से बने है। परन्तु अप्रार्थी ने उक्त मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने जाहिर किया है उक्त आराजी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत प्रविष्टी के कारण गलत नक्शा तरमीम किया गया है प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षतिः चूँकि प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश दिनांक 08.04.1983 के बाद किसी प्रकार का संशोधन खसरा नम्बर 403 व 413 में किया गया है जोकि जांच एवं साक्ष्य का विषय है जोकि मूलवाद में तय किया जावेगा परन्तु वर्तमान स्थिति अनुसार उक्त संशोधन से, प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है क्योकि अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बेचान, अथवा खुद–बुर्द करते है तो प्रार्थी को कानूनी पेचीदगीयो का सामना करना पडेगा। यदि इस स्तर पर अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप करने से नहीं रोका गया, तो प्रार्थीगण को अपनी भूमि के उपभोग से वंचित होना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति कारित होगी। न्याय हित में यह आवश्यक है कि जब तक अधिकारों का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे और राजस्व रिकॉर्ड को सम्मान दिया जाए।

:: निष्कर्ष एवं आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 403/457 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 403/458 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 413/459 कुल किता 0.20 हैक्टेयर स्थित ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील जालसू में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व काश्त में किसी भी प्रकार क[illegible] न करें रिकॉर्ड एवं मौके यथास्थिति बनाऐ रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर